

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री सुदीप कुमार पिता श्री द्वारिका साव, श्री सौरभ कुमार (नबालिग) पिता त्रिवेणी प्रसाद, श्रीमती ममता देवी पति कुलेन्द्र साव, श्री अनूप कुमार (नबालिग) पिता श्री हीरामन प्रसाद, श्री मुकेश साव पिता श्री विफा साव, श्री संजय साव पिता शिवकुमार साव, श्री सुनील साव पिता श्री शिवकुमार साव, श्रीमती चंचल देवी पति श्री अरुण कुमार साव, श्रीमती गीता देवी पति श्री नन्दन प्रसाद, श्रीमती निशा कुमारी पति श्री कैलाश पति प्रसाद साहू, नितीश कुमार पिता श्री दामोदर साव और श्री प्रमोद कुमार साहू पिता स्व. सुरेश साव निवासी ग्राम: चमातु और फूलबसिया, थाना: बालूमाथ और बरियातु;, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 57, 121, 96, 47, 129, 110, 10 और 96 के अधीन प्लॉट सं. 610, 619, 621, 622, 625, 626, 946, 947, 793, 794, 908, 934, 935, 941, 942, 944, 945, 760, 761, 762, 816, 826, 827, 829, 858, 859, 861, 862, 701, 702, 703, 719, 720, 721, 2117, 2196, 989, 1041, 1042, 1043, 1089, 1093, 1128, 1129, 1193, 1194, 1196, 1197, 1202, 1203, 2197, 2198, 2199, 2088, 2093, 2101, 2109, 2110, 2089, 794, 552, 2267, 705, 1314, 301, 1313, 1969, 663, 296, 2141, 2142 और 675; ग्राम: फूलबसिया, थाना सं: 58 (रैयती) खाता सं. 242, के अधीन प्लॉट सं. 850; कुल रकबा - 24.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

क. ऊपर उल्लेखित संसोधित सर्वे खाता स. 96, प्लॉट न. 296 जिसका रकबा 0.59 एकड़ है जिसे केवला स. 1682 दिनांक 09.11.1987 के माध्यम से श्रीमती नागिया देवी पति चंद्रिका महतो के द्वारा प्रसाद गंडु पिता स्व. खेटा गंडु से खरीदगी की गयी थी जिसमें खाता स. 25, प्लॉट स. 309 रकबा 0.59 एकड़ दर्ज है/-

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 57, 121, 96, 47, 129, 110, 10 और 96 के अधीन प्लॉट सं. 610, 619, 621, 622, 625, 626, 946, 947, 793, 794, 908, 934, 935, 941, 942, 944, 945, 760, 761, 762, 816, 826, 827, 829, 858, 859, 861, 862, 701, 702, 703, 719, 720, 721, 2117, 2196, 989, 1041, 1042, 1043, 1089, 1093, 1128, 1129, 1193, 1194, 1196, 1197, 1202, 1203, 2197, 2198, 2199, 2088, 2093, 2101, 2109, 2110, 2089, 794, 552, 2267, 705, 1314, 301, 1313, 1969, 663, 296, 2141, 2142 और 675; ग्राम: फूलबसिया, थाना सं: 58 (रैयती) खाता सं. 242, के अधीन प्लॉट सं. 850; कुल रकबा - 24.00 एकड़ (रैयती), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री सुदीप कुमार पिता श्री द्वारिका साव, श्री सौरभ कुमार (नबालिग) पिता त्रिवेणी प्रसाद श्रीमती ममता देवी पति कुलेन्द्र साव, श्री अनूप कुमार (नबालिग) पिता श्री हीरामन प्रसाद श्री मुकेश साव पिता श्री विफा साव, श्री संजय साव पिता शिवकुमार साव, श्री सुनील साव पिता श्री शिवकुमार साव, श्रीमती चंचल देवी पति श्री अरुण कुमार साव, श्रीमती गीता देवी पति श्री नन्दन प्रसाद, श्रीमती निशा कुमारी पति श्री कैलाश पति प्रसाद साहू, नितीश कुमार पिता श्री दामोदर साव और श्री प्रमोद कुमार साहू पिता स्व. सुरेश साव निवासी ग्राम: चमातु और फूलबसिया, थाना: बालूमाथ और बरियातु;, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

22/02/22